220

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1226-एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.11.2014 पारित अपर कलेक्टर जिला विदिशा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 29/2012-2013/अपील

.....

1-राजेन्द्र सिंह पुत्र गोपीलाल,
2-गोपीलाल पुत्र श्री हंसराज
निवासी ग्राम वर्धा, तहसील नटरेन,
जिला विदिशा (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला - विदिशा (म0प्र0)

2- प्रभूलाल मृतक द्वारा वारिस-
1-हरीसिंह 2-बाबूलाल 3-नादानबाई
4-हरीसिंह मृतक द्वारा वारिसान पानबाई
वेवा हरीसिंह
निवासी- ग्राम वर्धा, तहसील नटरेन,
जिला विदिशा (म0प्र0) -- अनावेदकगण

आवेदक अभिभाषक श्री एस.एल. धाकड़
शासकीय अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र शुक्ला
अनावेदक क्रमांक-2 वारिसान एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15./.2./.2017..को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/2012-2013/अपील में पारित आदेश दिनांक 24.11.2014 एवं

17.04.2015 के विरुद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा एक आवेदन खसरा क्रमांक 227 रकवा 3.135 हैक्टर भूमि की विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर जिला विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कलेटर जिला विदिशा द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं संचनालय आदिमजाति अनुसंधान संस्थान भोपाल (म.प्र.) 1996 एवं आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म.प्र. के परि पत्र क्रमांक/अ.ज. /2-39/08/1119 भोपाल दिनांक 07.05.2008 तथा कार्यालय कलेक्टर (आदिमजाति कल्याण शाखा विदिशा म.प्र. की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक-39 पर मोगिया जाति अनुसूचित जाति में दर्ज है।) तथा भरत सिंह मोगिया एवं हरिसिंह मोगिया के अनुविभागीय अधिकारी जिला विदिशा द्वारा जारी किये गये स्थाई जाति प्रमाण पत्र तथा संपूर्ण जांच प्रतिवेदनो के उपरांत आदेश दिनांक 28.04.1993 के द्वारा अनावेदक क्रमांक- 2 को आदिवासी नहीं होने से विक्रय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनवदेक क्रमांक- 2 द्वारा उक्त खसरा क्रमांक 227 रकवा 3.135 हवैक्टर को कलेक्टर के आदेश के उपरांत आवेदक के हित में विक्रय पत्र संपादित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आदेश दिनांक 24.11.2014 के एवं दिनांक 17.04.2015 के विरुद्व यह निगरानी की है।

3- उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये। आवेदक अभिभाष्क ने अपने तर्क में बताया कि म.प्र. शासन संचनालय आदिमजाति अनुसंधान संस्थान भोपाल (म.प्र.) 1996 एवं आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म.प्र. के परि पत्र क्रमांक/अ.ज./2-39/08/1119 भोपाल दिनांक 07.05.2008 तथा कार्यालय कलेक्टर (आदिमजाति कल्याण शाखा विदिशा म.प्र. की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक-39 पर मोगिया जाति अनुसूचित जाति में दर्ज है।) तथा भरत सिंह मोगिया एवं हरिसिंह मोगिया के अनुविभागीय अधिकारी जिला विदिशा द्वारा जारी किये गये स्थाई जाति प्रमाण पत्रों से स्पष्ट है, और म.प्र. शासन द्वारा जिला विदिशा में निवासरित मोगिया जाति को अनुसूचित जनजाति म.प्र. शासन द्वारा किसी भी अधिसूनचा द्वारा नही माना गया है। तब ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नटेरन द्वारा पारित ओदश दिनांक 09.05. 2002 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2014 एवं 17.04.2015 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि म0प्र0 शासन द्वारा जिला विदिशा में मोगिया को उनके रहन-सहन एवं सामाजिक कार्य एवं व्यवसाय के आधार पर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी

विदिशा की मोगिया जाति अपने को अनुसूचित जनजाति में घोषित किये जाने की मांग कर रहें है। म.प्र. शासन द्वारा अभी तक अनुसूचित जनजाति में नहीं माना तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के आधार पर आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया ।

5- प्रकरण में उभयपक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से यह प्रकट है कि संचनालय आदिमजाति अनुसंधान संस्थान भोपाल (म.प्र.) 1996 एवं आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म.प्र. के पत्र पत्र क्रमांक/अ.ज./2-39/08/1119 भोपाल दिनांक 07.05.2008 तथा कार्यालय कलेक्टर (आदिमजाति कल्याण शाखा विदिशा म.प्र. की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक-39 पर मोगिया जाति अनुसूचित जाति में दर्ज है।) तथा भरत सिंह मोगिया एवं हरिसिंह मोगिया के अनुविभागीय अधिकारी जिला विदिशा द्वारा जारी किये गये स्थाई जाति प्रमाण पत्र तथा संपूर्ण जांच प्रतिवेदनो के उपरांत आदेश दिनांक 28.04. 1993 के द्वारा अनावेदक क्रमांक- 2 को आदिवासी नहीं होने से विक्रय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी नटेरन द्वारा म.प्र. शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना एवं पारित परिपत्रों तथा दस्तावेजों के विपरीत निष्कर्ष निकालने में वैधानिक त्रुटि की है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09.05.2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तथा न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा जांच के उपरांत बोलता हुआ आदेश पारित न करने में त्रुटि की है। इसलिए अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2015 एवं 24.11.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी नटेरन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2002 एवं अपर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रचलित सम्पूर्ण कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 24.11.2014 एवं 17.04.2015 निरस्त कर, कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.1993 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। यह निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

एम.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर